

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०-पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०-३९-०४/२०२६ - १३ पटना, दिनांक-०९/२/२०


---: कार्यालय आदेश ---:

श्रीमती अपराजिता सिंधु, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT), विषय-अर्थशास्त्र, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, वैशाली को बिहार सेवा संहिता के नियम-180, 236 एवं नियम-248 (घ) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उनके आवेदन एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी, वैशाली द्वारा किये गए अनुशंसा के आलोक में पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना से पी०एच०डी० (अर्थशास्त्र) करने हेतु दिनांक-10.02.2026 से 08.08.2026 तक कुल-180 दिनों के लिए असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत की जाती है।

2- जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में श्रीमती अपराजिता सिंधु के असाधारण अवकाश अवधि तक के लिए इनके शैक्षणिक उत्तरदायित्वों का निष्पादन सुश्री/श्रीमती पूजा, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT), विषय-लेखा द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त अवधि का वेतन देय नहीं होगा।


4- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(गोपाल प्रसाद)
उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०-३९-०४/२०२६ - १३ पटना, दिनांक-१२/२/२०
प्रतिलिपि:-उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, वैशाली/जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, वैशाली/श्रीमती अपराजिता सिंधु, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, वैशाली/सुश्री/श्रीमती पूजा, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT), विषय-लेखा, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०-३९-०४/२०२६ - १३ पटना, दिनांक-१२/२/२०
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उप निदेशक।